भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1783

उत्तर देने की तारीख-13/02/2023

केरल के केन्द्रीय विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

†1783. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) द्वारा केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या- ओएसी/II/7-33/15-16, सीई/II/7-20/ 16-17, सीई/ II/ 7-49/18-18, सीई/7-46/19-20 और सीई/7-18/सीयूके/ 2-23 में पाई गई गंभीर अनियमितताओं पर ध्यान दिया है और इस पर कार्रवाई 2016 से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षण संकायों और अधिकारियों को दिए गए वेतन और भत्ते के अवैध और अनियमित निर्धारण और अनियमित पदोन्नति पर ध्यान दिया है, जिसकी सूचना नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 2015 के बाद से दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (घ): केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि प्रश्न में इंगित रिपोर्ट केवल निरीक्षण रिपोर्ट चरण में ही हैं। इसके समाधान के लिए लेखापरीक्षा कार्यालय और केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच पत्राचार चल रहा है। लेखापरीक्षा के 71 पैरा में से 54 पैरा हटा दिए गए हैं। लंबित 17 पैरा पर आगे और प्रश्न विश्वविद्यालय को केवल जनवरी, 2023 में प्राप्त हुए थे।

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा कार्यालय को अपने उत्तर में सूचित किया है कि उन्होंने वेतन के अनियमित निर्धारण पर पुन: विचार किया है और इस विषय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के संज्ञान में लाया गया है। यूजीसी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, एक समिति इस मामले की जांच कर रही है।

*****